

कार्यालय, विहित प्राधिकारी उपखण्ड अधिकारी चौमू जिला जयपुर

क्रमांक आर.ए./रूपा0/18/01

दिनांक 25/1/18

संपरिवर्तन आदेश

गणपति एज्युकेशन एण्ड मेडीकेयर सोसायटी खेजरोली के आवेदन पर उसकी खातेदारी अभिधृति में धारित कृषि भूमि का राजस्थान भू-राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजन के लिए संपरिवर्तन) नियम 2007 के नियम 9 के अधीन अकृषि प्रयोजन के लिए इसके द्वारा संपरिवर्तन किया जाता है, जिसकी विशिष्टिया नीचे दी गई है:-

1	आवेदक खातेदार अभिधारी का नाम पिता/पति का नाम सहित पूरा पता	गणपति एज्युकेशन एण्ड मेडीकेयर सोसायटी खेजरोली
2	क्या आवेदक अनु0 जाति / अनु0 जनजाति का सदस्य है	नहीं
3	संपरिवर्तित भूमि का ब्योरा (क) ग्राम/ग्राम पंचायत/तहसील	खेजरोली ए, खेजरोली, चौमू।
	(ख)भूमि का खसरा संख्या एवं प्रत्येक ख0स0 का क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)	ख0न0 6192/1 रकबा 0.43 है0 कुल किता 1 कुल रकबा 0.43 हैक्टे0
	(ग) प्रत्येक ख0. स0 के क्षेत्रफल को उपदर्शित करते हुए संपरिवर्तित क्षेत्रफल (है0 या वर्गमीटर में) टिप्पणी :- अकृषि प्रयोजन के लिए संपरिवर्तित भूमि को दर्शाते हुए राजस्व नक्शे के सुसंगत भाग की सम्यक रूप से सत्यापित प्रति संलग्न है।	ख0न0 6192/1 रकबा 0.43 है0 कुल किता 1 कुल रकबा 0.43 हैक्टे0 में से 4300 वर्गमी0
4	संपरिवर्तन का प्रयोजन	संस्थानिक (शैक्षणिक) प्रयोजनार्थ
5	संदेय प्रीमीयम की दर	26.73 / - प्र0व0मी0
6	चालान संख्या, तारीख सहित प्रीमीयम की राशि	चा.न. 252 (GRN 3019535) दिनांक 12.08.2014 जमा दिनांक 13.08.2014 से रु0 43000 / -, चा.न. 521 (GRN 4919048) दिनांक 09.02.15 जमा दिनांक 15.02.2015 से रु0 18000 / - चा.न.358 (GRN 20532204) दिनांक 08.01.2018 जमा दिनांक 08.01.2018 से रु0 53950 / -, कुल रु0 114950 / -
7	चालान संख्या, तारीख सहित शास्ति यदि कोई हो, जमा कराई गई रकम	---
8	चालान संख्या, तारीख सहित ब्याज यदि कोई हो, जमा कराई गई रकम	---
9	क्या आदेश नियमितिकरण के लिए नियम 13 के अधीन जारी किया है	---
10	अन्य कोई विशिष्टिया यदि कोई हो	ख0न0 9320/6193 रकबा 0.342 है0 किस्म गै0मु0 रास्ता आवेदक संस्था द्वारा नि:शुल्क राजहित में रास्ते के लिये समर्पित की गई है।



उप खण्ड अधिकारी
चौमू जिला-जयपुर

प्रारूप (ख)
देखिए नियम 8(2) और (3)

कार्यालय, विहित प्राधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) चौमूँ

संख्या.....

दिनांक.....

संपरिवर्तन आदेश

श्री गणपति एज्यूकेशन एण्ड मेडिकेयर सोसायटी, ग्राम खेजरोली जरिये अध्यक्ष रमेश चन्द्र पुत्र सुरजमल, जाति जाट, निवासी 5ख-22, हाऊसिंग बोर्ड, शास्त्री नगर, जयपुर के आवेदन पर उसकी खातेदारी अभिधृति में धारित कृषि भूमि का राजस्थान भू राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि का अकृषि प्रयोजक के लिए संपरिवर्तन) नियम 1992 के नियम 8(2)/8(3) के अधिन अकृषि प्रयोजन के लिए इसके द्वारा संपरिवर्तन किया जाता है, जिसकी विशिष्टियां नीचे दी गई हैं -

1. आवेदक खातेदार अभिधारी का नाम, पिता/पति का नाम सहित पूरा पता :- गणपति एज्यूकेशन एण्ड मेडिकेयर सोसायटी, ग्राम खेजरोली जरिये अध्यक्ष रमेश चन्द्र पुत्र सुरजमल, जाति जाट, निवासी 5ख-22, हाऊसिंग बोर्ड शास्त्री नगर, जयपुर
2. क्या आवेदक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन जाति का सदस्य है :- नहीं
3. संपरिवर्तन भूमि का ब्यौरा (क) ग्राम/ग्राम पंचायत/तहसील :- खेजरोली, ग्राम पंचायत खेजरोली, पंचायत गोविन्दगढ, तहसील चौमूँ (जयपुर) (ख) भूमि का खसरा सं. और प्रत्येक ख.सं. का क्षेत्रफल (हेक्टर में) :- ख. नं. 6192 रकबा 0.83 है (ग) प्रत्येक ख. सं. के क्षेत्रफल को उपदर्शित करते हुये संपरिवर्तित क्षेत्रफल (हेक्टर में या वर्गमीटर में) :- ख. नं. 6192 रकबा 0.83 है मे से 4000 वर्गमीटर टिप्पणी-अकृषि प्रयोजन के लिए संपरिवर्तित भूमि को दर्शाते हुए, राजस्व नक्शे के सुसुगत भाग की सम्यक रूप से सत्यापित प्रति संलग्न है।
4. संपरिवर्तन का प्रयोजन :- वाणिज्यिक (शिक्षण संस्थान) प्रयोजनार्थ
5. संदेय प्रीमीयम की दर :- 8/- 16/- एवं 32/- रु. प्रति वर्गमीटर
6. चालान की संख्या, तारीख सहित प्रिमियम की राशि :- चा.नं. 1007,1008 दि.27.12.06रु. 94000/-
7. चालान की सं. तथा तारीख सहित शारित यदि कोई हो, की जमा करायी गयी रकम :- चा.नं. 1007 दि .27.12.06 रु. 23600/-
8. चालान की सं. तथा तारीख सहित ब्याज यदि कोई हो, की जमा करायी गयी रकम :- -
9. तथा आदेश नियमितीकरण के लिए नियम 12 के अधिन जारी किया गया है :- हाँ
10. अन्य कोई विशिष्टियां यदि कोई हो :- -
11. उपर्युक्त संपरिवर्तन आदेश निम्न लिखित शर्तों के अध्याधीन होगा -
 1. उपर्युक्त अकृषि प्रयोजन के लिए संपरिवर्तित भूमि का उपयोग विहित प्राधिकारी की पूर्व अनुबन्ध प्राप्त किये बिना किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा।
 2. यदि आवेदन इस आदेशक के जारी होन की तारीख से 2 वर्ष की कालावधि के भीतर संपरिवर्तित प्रयोजन के लिए भूमि का उपयोग करने में विफल रहता है तो, अनुज्ञा प्रत्याहृत कर ली जायेगी और आवेदक द्वारा जमा कराया गया प्रीमीयम धन सपहृत हो जायेगा।
 3. नियम 4 में यथा वर्णित भूमि का उपयोग अकृषि प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा।
 4. लोकोपयोगी प्रयोजन के लिए संपरिवर्तित भूमि के किसी अन्य भाग किसी प्रयोजन के लिए उपयोग विहित प्राधिकारी के विहित मान्य अनुज्ञा प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।
 5. राजस्व (ग्रुप-6) विभाग के पत्रांक प-9(26) राज./ग्रुप-6/04/पार्ट जयपुर दिनांक 30.12.2005 की पालना में अंकित शर्त अनुसार व वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर को देय राशि अदा की जाये।

विहित प्राधिकारी की मुहर संख्या

क्रमांक R.12.106/33504-53
प्रतिलिपि -

1. श्रीमान् जिला कलेक्टर महोदय, (राजस्व/रा.लेखा) जयपुर।
2. श्री तहसीलदार चौमूँ।
3. सरपंच ग्राम पंचायत खेजरोली।
4. आवेदक गणपति एज्यूकेशन एण्ड मेडिकेयर सोसायटी, ग्राम खेजरोली जरिये अध्यक्ष रमेश चन्द्र पुत्र सुरजमल, जाति जाट, निवासी 5ख-22, हाऊसिंग बोर्ड, शास्त्री नगर, जयपुर

उप विहित प्राधिकारी
जिला कलेक्टर/उपखण्ड अधिकारी/तहसीलदार
दिनांक 28.12.2006

उप खण्ड अधिकारी
चौमूँ (जयपुर)